न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /20/2017

1. हरीशचन्द पुत्र श्री मनोहरी जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर – **मृतक**

1/1. टीकम सिंह
1/2. दिगम्बर सिंह
} पिसरान स्व0 हरीशचन्द जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. लालाराम पुत्र श्री सन्तोका जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन– **मृतक**

1/1– नारायन सिंह पुत्र लालाराम –**मृतक**

1/1/1– विजय सिंह पुत्र स्व0 नारायन सिंह
1/1/2– केसरी सिंह पुत्र स्व0 नारायन सिंह
1/1/3– चन्द्रपालसिंह पुत्र स्व0 नारायन सिंह
} जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

1/1/4– चन्द्रवती पत्नि तुलसीराम पुत्री स्व0 नारायन सिंह जाति जाट निवासी खेरालाठ की तहसील कठूमर जिला अलवर

1/1/5– लक्ष्मी पत्नि लेखराजसिंह पुत्री स्व0 नारायन सिंह जाति जाट निवासी हीगोली पोस्ट महरावर, तहसील कुम्हेर जिला डीग

1/1/6– रौना पत्नि स्व0 नारायन सिंह जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर – **मृतक**

.....असल रेस्पो.

2– जयपाल पुत्र स्व0 अमर सिंह
3– गजेन्द्रपाल पुत्र ऐदलसिंह
4– नरेन्द्र कुमार पुत्र ऐदलसिंह
5– भागचंद पुत्र ऐदलसिंह
} जाति जाट निवासी नगला बीजा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

6– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....तरतीवी रेस्पो.

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 22.03.2017 तहसीलदार नदबई बाबत् खसरा नं. 1915/1.09 वाके ग्राम पींगोरा तहसील नदबई ।

उपस्थितः–
1–श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1/1/1 लगा0 1/1/5

निर्णय दिनांक 30.05.2025

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 795 दिनांक 22.03.2017 तहसीलदार नदबई बाबत् खसरा नं. 1915/1.09 वाके ग्राम पींगोरा तहसील नदबई के खिलाफ इस न्यायालय में दिनांक 20.06.2017 को पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार (भू.अ.) नदबई से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर, न्यायालय की पत्रावली के साथ नत्थीबद्ध की गई। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1/1/1 लगा0 1/1/6 के अभिभाषक उपस्थित शेष रेस्पो0 अनुपस्थित। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की स्थिति पर गौर नहीं किया है ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके का स्वयं द्वारा कोई निरीक्षण किया गया, ना कुरे प्रस्तावित करने का नक्शा मय रंग के बनाया है, ना ही तहसीलदार नदबई स्वयं ने कोई रिपोर्ट तैयार की है केवल गिरदावर की एक तरफा रिपोर्ट को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मानकर आदेश जेर अपील पारित करने में भारी भूल की है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरण पर नजरी नक्शा बनाकर भारी भूल की है जबकि नामान्तकरण पर कानूनन कभी नजरी नक्शा नहीं बनाया जाता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट व तरतीवी रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है और उनकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित करके प्राकृतिक न्याययिक सिद्धान्त के विरूद्ध विधिक प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की अपील देरी से प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में वकील अपीलान्ट का कहना है कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रथम वार दिनांक 11.06.2017 को हुई जब पटवारी मौके पर नाप करने के लिये पहुॅचा तव दिनांक 13.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी ली जाकर नकल मिलने के दिन से अपील अन्दर अवधि पेश की जा रही है। जिसे पेश करने में अपीलान्टान की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही व भूल नहीं की है बल्कि ववक्त उक्त कारण के है प्रकरण जायदाद का है यदि अपील को अन्दर अवधि शुमार नहीं किया गया तो अपीलान्ट की शक्त हकतलफी होगी और वह न्याय से वंचित हो जावेगा। अतः अपील होने की जानकारी व मिलने नकल से अन्दर मियाद शुमार कर देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियमय पेश किया गया है। देरी को माफ कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नदवई द्वारा विधि विरूद्ध स्वीकार किये गये नामान्तकरण को काबिल निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

योग्य अभिभाषक रेस्पोडेन्टान ने अपने कथनों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश, सहायक कलक्टर नदबई के निर्णय व डिक्री की पालना में दर्ज कर स्वीकार किया गया है। जिसके विरूद्ध किसी भी

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय से स्थगन आदेश जारी नहीं है। ऐसी सूरत में डिक्री व निर्णय की अनुपालना में दाखिल खारिज खोला जाना आवश्यक होता है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि किसी न्यायालय के आदेश/निर्णय/डिग्री/इजराय की पालना में खोले गये नामान्तकरण में किसी को नोटिस वगे. जारी करन या अन्य कोई जांच की आवश्यकता नहीं रहती है। तहसीलदार ने सहायक कलेक्टर के निर्णय/इजराय की पालना में नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपीलान्ट ने म्याद प्रार्थना पत्र में झूठा कथन किया है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। तहसीलदार (भू.अ.) नदबई से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 795 तारीखी 22.3.2017 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण के कॉलम सं0 14 में स्पष्ट अंकित किया है कि'–

"श्रीमान ए.सी.एम. सा0 नदबई आदेश क्रमांक 58 दिनांक 22.1.17 व तहसील आदेश 750 दिनांक 27.2.17 की पालना में ..... ।"

नामान्तकरण पर हो रहे उक्त अंकन से यह निर्विवाद है कि अपीलाधीन नामान्तकरण सहायक कलेक्टर नदबई के निणर्य/डिक्री की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। तहसीलदार नदबई ने सहायक कलेक्टर नदबई के निर्णय/डिक्री आदेश की पालना की है ना कि स्वयं विवेक से कोई

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

आदेश पारित किया है। तहसीलदार नदबई ने जिसमें कोई त्रुटि नहीं की है। सहायक कलेक्टर नदबई द्वारा द्वारा जारी निर्णय/डिक्री को दोनों पक्षकार स्वीकार करते हैं। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वक्त बहस दोनों पक्षकारान सहायक कलेक्टर नदबई के निर्णय/डिक्री आदेश की खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ अपील विचाराधीन होना स्वीकार करते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर